दिनांक – 28.05.2025 को मध्याह्न 12:00 बजे श्री उपेन्द्र कुमार, विभागीय मुख्य निगरानी पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में निगरानी संबंधी मामलों की समीक्षा हेतु आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही

उपस्थिति –

1. श्री वीरेन्द्र कुमार प्रसाद – उप सचिव
2. श्री अमित रंजन – प्रशाखा पदाधिकारी
3. श्री यशवंत कुमार – सहायक प्रशाखा पदाधिकारी

सर्वप्रथम मुख्य निगरानी पदाधिकारी–सह–विशेष सचिव द्वारा सभी उपस्थित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए निगरानी संबंधी मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में मुख्य निगरानी पदाधिकारी द्वारा निम्नवत् निदेश दिये गये :–

- निगरानी विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र के आलोक में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित, 2018) की धारा–19 अन्तर्गत लोक सेवकों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रस्ताव प्रकरणों को धारा–17A के तहत ग्राह्य करने हेतु किसी पदाधिकारी को नामित करते हुए इसकी सूचना से निगरानी विभाग को अवगत करायी जाय। इस क्रम में मुख्य निगरानी पदाधिकारी को अवगत कराया गया कि विभागीय आदेश ज्ञापांक–758 दिनांक–26.05.2025 द्वारा श्री वीरेन्द्र कुमार प्रसाद, उप सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को नामित किया गया है।
- आपूर्ति सेवा के कर्मियों/पदाधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृत्यादेश संबंधी कोई भी मामले सम्प्रति विभाग में लंबित/प्रक्रियाधीन नहीं है। इस संबंध में निदेशित किया गया कि भविष्य में इस तरह के मामले विभाग में प्राप्त होते ही इस पर अविलंब कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
- निगरानी विभाग से प्राप्त परिवाद पत्रों पर ससमय अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई करते हुए तत्संबंधी कार्रवाई प्रतिवेदन (ATR) निगरानी विभाग के web portal पर अपलोड करने हेतु सभी संबंधित प्रशाखाओं को निदेशित की जाय।
- निगरानी विभाग से विभाग को प्राप्त वैसे मामले जिसमें जिला के स्तर से कार्रवाई अपेक्षित है, उन मामलों में नियमानुसार जाँच करते हुए तत्संबंधी कार्रवाई प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया जाय।

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।

(उपेन्द्र कुमार)
मुख्य निगरानी पदाधिकारी–
सह–विशेष सचिव

ज्ञापांक– प्र08–गो0आ0(विविध)–07/2023– 833 खाद्य, पटना/दिनांक– 30/05/2025

प्रतिलिपि–संयुक्त सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी/सभी अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार/अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना/विशिष्ट पदाधिकारी अनुभाजन, पटना/प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रशाखा पदाधिकारी/आई0टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

D/2025/Proceeding Nigrani.doc